

23.6.22

प्राणवली पेश हुई। वकील प्रकाशन अनुपालित।  
 वकील प्रकाशन व वादी, प्रतिवादी को व्यापार  
 समग्र तक बाल-बाल आवारा लगाई गई। वकील  
 कोडे उपस्थित नहीं हुए। और जा-ही प्रकाश अवसर  
 दिने जाने पर शेष प्रतिवादी को भी तलबी हेतु तलवाना  
 नोटिस पेश नहीं किया गया है तथा जा-ही सुदूर प्रतिवादी को  
 को डोर से बंधा व वकील व नामा पेश नहीं किया गया है।

जिस कोडे को वाद अन्तर्गत धारा 128 L.R. Act -  
 प्राथमिक प्राथमिक

प्रकाश अवसर दिने जाने पर भी अपाधी गतों को तलबी  
 हेतु तलवाना नोटिस पेश नहीं करने के अभाव में अन्तर्गत -  
 आदेश 09 नियम 05 को तहत जारी किया जाता है।

प्राणवली फॉसल सुमाइल नम्बर से नम होकर  
 दाखिले दफ्तर हो। निर्णय बुले-प्रापालम में सुनाया  
 गया।

उपस्थित अधिकारी  
 सायद लेक

